

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

जीएस-2: न्यायपालिका में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार।

की-वर्ड्स : सुप्रीम कोर्ट, लाइव स्ट्रीम, संविधान पीठ, जनहित याचिका, न्यायिक कार्यवाही, वैवाहिक मामले, किशोर, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वप्रिल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट 2018, सनसनीखेज और दुष्प्रचार, संविधानवाद।
खबरों में क्यों:

- सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सभी सुनवाई 27 सितंबर से लाइव-स्ट्रीम की जाएगी।



संदर्भ:

- सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को आयोजित एक पूर्ण अदालत में महत्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया, जिसकी सुनवाई 27 सितंबर से होगी।
- पारदर्शिता के हित में एक याचिका दायर किए जाने के लगभग चार साल बाद यह फैसला आया है।
- इससे पहले, 26 अगस्त को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन. वी. रमना की सेवानिवृत्ति के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।
- लेकिन अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम की दिशा में पहला कदम 2018 में उठाया गया था, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की तीन-न्यायाधीशों की बेंच संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
- मार्च 2018 में, अदालत ने भारत के महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनके विचार मांगे।
- वर्तमान में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट 2018:

- शीर्ष अदालत ने राय दी, खुली अदालतों के सिद्धांत के विस्तार के रूप में लाइव-स्ट्रीमिंग यह सुनिश्चित करेगी कि आभासी वास्तविकता के साथ अदालत की सुनवाई के बीच इंटरफेस के परिणामस्वरूप व्यापक संभव अर्थों में सूचना का प्रसार होगा, जिससे न्यायपालिका को पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी। प्रक्रिया"।
- शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि "अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है"। फैसले पर अमल नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों का सेट

- सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के एक सेट को मंजूरी दी, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट की अनुमति देना और कार्यवाही को संग्रहित करना शामिल था।
- महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि अदालत को प्रसारण रोकने की शक्ति बरकरार रखनी चाहिए, और निम्नलिखित मामलों में इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए:
 - वैवाहिक मामले,
 - किशोरों के हितों या युवा अपराधियों के निजी जीवन की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामले,
 - राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले,
 - यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित, गवाह या प्रतिवादी बिना किसी डर के सच्चाई से अपना बयान दे सकें। कमजोर या भयभीत गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर वह गुमनाम रूप से प्रसारण के लिए सहमति देता है तो यह गवाह के चेहरे के विरूपण के लिए प्रदान कर सकता है,
 - यौन हमले और बलात्कार से संबंधित सभी मामलों सहित गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए,
 - ऐसे मामले जहां प्रचार न्याय के प्रशासन के विपरीत होगा,
 - ऐसे मामले जो भावनाओं को भड़का सकते हैं और जोश पैदा कर सकते हैं और समुदायों के बीच दुश्मनी को भड़का सकते हैं।

अन्य देशों में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही के प्रसारण के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया है, इसने 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के टेप की अनुमति दी है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** लाइव या विलंबित प्रसारण की अनुमति है लेकिन सभी अदालतों में प्रथाएं और मानदंड अलग-अलग हैं।
- **ब्राजील:** 2002 से, अदालत में न्यायाधीशों द्वारा की गई विचार-विमर्श और मतदान प्रक्रिया सहित, अदालती कार्यवाही के लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण की अनुमति है। वीडियो और ऑडियो प्रसारित करने के लिए एक सार्वजनिक टेलीविजन चैनल, टीवी जस्टिका और एक रेडियो चैनल, रेडियो जस्टिना की स्थापना की गई थी। अलग से, समर्पित YouTube चैनल लाइव प्रसारण के अलावा न्यायिक प्रणाली पर चर्चा और टिप्पणियां करते हैं।
- **कनाडा:** कार्यवाही का प्रसारण केवल संसदीय मामलों के चैनल पर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक मामले के स्पष्टीकरण और अदालत की समग्र प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ होता है।

- **दक्षिण अफ्रीका:** 2017 से, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में, मीडिया को आपराधिक मामलों में अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** 2005 में, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए अदालत की अवमानना के आरोपों को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। अदालत की वेबसाइट पर एक मिनट की देरी से कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन संवेदनशील अपीलों में कवरेज वापस लिया जा सकता है।

न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लाभ

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कई फायदे हैं। वे हैं:

- अदालती कार्यवाही का प्रसारण पारदर्शिता और न्याय प्रणाली तक अधिक पहुंच की दिशा में एक कदम है।
- वादी अपने वकील की प्रस्तुति देख सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं।
- दूर-दराज के क्षेत्रों से अदालत में आए बिना, वादी अपने स्थान पर आराम से लाइव कार्यवाही देख सकते हैं।
- वकीलों द्वारा कम रुकावटों, उठी आवाजों, स्थगन आदि से बचा जा सकता है।
- अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अकादमिक मदद की होगी।
- अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से कानूनी शोध में भी मदद मिलेगी।
- आक्षेपित आदेशों और निर्णयों से बचा जा सकता है।
- प्रभावी लागत।

लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर चिंता

- जजों और कार्यवाही को देखने वाले लोगों दोनों पर लाइव स्ट्रीमिंग के प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं।
- भारतीय अदालतों की कार्यवाही के वीडियो क्लिप पहले से ही YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज शीर्षक और छोटे संदर्भ के साथ हैं, जैसे "सेना अधिकारी पर हाई कोर्ट सुपर एंग्री"।
- ऐसी आशंकाएं हैं कि गैर-जिम्मेदार या प्रेरित सामग्री का उपयोग जनता के बीच गलत सूचना फैला सकता है।
- साइबर अपराधियों द्वारा कार्यवाही के अनधिकृत पुनरुत्पादन पर नियंत्रण सरकार की ओर से चुनौतीपूर्ण होगा।
- ऐसे संकेत पहले से मौजूद हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंश, एक बार सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने के बाद, पहले से ही सनसनीखेज और दुष्प्रचार दोनों के लिए खुले हैं।
- व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए गए वीडियो जो किसी न्यायाधीश या वकील के प्रश्न/अवलोकन से कुछ सेकंड की क्लिप लेते हैं और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते हैं, जो अक्सर पेशेवर का प्रदर्शन करते हैं।

आगे की राह:

- न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है। पारदर्शिता न्यायपालिका में जनता के विश्वास की प्रतिपूर्ति करती है।

- लेकिन, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मामलों का सावधानीपूर्वक चयन, और एससी वेबसाइट पर संग्रहीत स्ट्रीम को तब तक अपलोड नहीं करना जब तक कि यह सुनिश्चित करना कानूनी/तकनीकी रूप से संभव न हो कि ऐसे वीडियो को अलग नहीं किया जा सकता है, महत्वपूर्ण है।
- ये एहतियाती कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में संवैधानिकता को समृद्ध करे।
- दूसरी ओर जल्दबाजी और थोक में परिचय से अनुसूचित जाति को देश में व्याप्त बहुसंख्यकवादी और जहरीली सूचनाओं के दलदल के ठीक बीच में आने की संभावना है।

स्रोत: <https://indianexpress.com/article/explained/live-streaming-of-sc-proceedings-the-rationale-and-the-concerns-8164955/>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

'अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम से संबंधित नियम हैं।
2. न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर : b

व्याख्या:

- दुनिया के कई देशों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम से संबंधित नियम हैं।
- स्वप्रिल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट 2018 मामले में, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि "अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है"।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. "न्यायालय की कार्यवाही का प्रसारण पारदर्शिता और न्याय प्रणाली तक अधिक पहुंच की दिशा में एक कदम है, लेकिन न्यायाधीशों और कार्यवाही देखने वाले लोगों दोनों पर लाइव स्ट्रीमिंग के प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं।" चर्चा करें।